आर.टी. नं. 11277/25

Date of Order or Proceeser	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
22/6/26	परिवादी सहित/द्वारा अधिवक्ता उप0। अभियुक्त महेन्द्र अग्रवाल ..... अनुपस्थित। प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु जारी गिरफतारी वारंट तामील, अदम तामील वापस प्राप्त/नहीं। परिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदन पेश कर/मौखिक रूप से निवेदन किया गया कि प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध नियमित रूप से वारंट जारी किये जा रहे हैं तथा पुलिस के द्वारा गिरफतारी वारंट की तामीली नहीं की जा रही है, और यह भी निवेदन किया है कि निर्धारित समयावधि हेतु प्रेषित वारंट की तामीली पुलिस के द्वारा नहीं की जाती है। अभियुक्त फरार है। अतः द0प्र0सं0 की **धारा 70(2) के प्रावधानों** के अंतर्गत वारंट जारी किया जावे। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में **अभियुक्त पूर्व में उपस्थित हो चुका है**, अभियुक्त द्वारा जमानत आदेश के शर्तो का उल्लघन किया है। इसके पश्चात् **आरोपी के प्रकरण में अनुपस्थित रहने से स्थाई गिरफतारी वारंट** जारी हो चुके है, तत्पश्चात् आरोपी पुनः प्रकरण में अनुपस्थित हो गया है और अभियुक्त की उपस्थिति हेतु गिरफतारी वारंट जारी किया गया है, किन्तु प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, जिससे यह दर्शित है कि आरोपी जान–बूझकर न्यायालय में उपस्थित होने से बच रहा है । माननीय उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **मधु गुप्ता वि0 वीर के श्रीवास्तव एवं अन्य आई एल आर (2012) एम पी 1097 के** आलोक में यह न्याय संगत होगा कि अभियुक्त की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए उसके विरूद्ध दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 70(2) के प्रावधानों के अंतर्गत स्थाई गिरफ्तारी वारंट उस अवधि के लिए जारी किया जाये जब तक कि उक्त वारंट का निष्पादन ना हो जाए या इस न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जाए। परिवादी अधिवक्ता के द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि जब तक प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक उन्हें इस प्रकरण में उपस्थित होने के लिए बाध्य ना किया जाये। 309(2) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित होने तक प्रकरण की कार्यवाही मुल्तवी किए जाने का निवेदन किया, उनके निवेदन को स्वीकार किया गया। अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित होने तक प्रकरण सुरक्षार्थ अभिलेखागार भेजा जावे। अतः इस प्रकरण में जब अभियुक्त उपस्थित हो, तो उसकी उपस्थिति के पश्चात् परिवादी के अधिवक्ता को **म0प्र0 उच्च न्यायालय (व्यवसाय की शर्त नियम, 2012) के नियम कमांक 7** के तहत उन्हें सूचना दी जाए, तत्पश्चात् प्रकरण में आगे की कार्यवाही की जाए। अभियुक्त के विरूद्ध **बिना मियादी गिरफतारी वारंट** इस टीप के साथ जारी हो कि वारंट उस समय तक प्रवर्तन में रहेगा, जब तक कि जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जाता, या जब तक कि वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने के पूव्र परिवादी की मृत्यु हो जाती है अथवा वह न्यायालय में उपस्थित रहने में असमर्थ रहता है, तब उसका न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र अभियुक्त के विरूद्ध पढा जाएगा एवं धारा 299 दं.प्र.सं./335 बी.एन.एस.एस. के प्रावधान लागू होंगे। वारंट जारी करने के संबंध में प्राप्ति ली जावे व आदेश पत्रिका के दाहिनी ओर जावक नंबर अंकित किया जावे और संबंधित थाने से आावक नंबर आहूत किया जाकर प्रविष्टि की जावे। रजिस्टर में भी प्रविष्टि की जाए। अतः प्रकरण के परिणाम की सूचना केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय में दी जाकर प्रकरण दाखिल रिकार्ड किया जावे। (विजय कुमार पाठक) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल (म.प्र.)	